महत्वपूर्ण/ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–11फ/आर0के0एस0/2016–17/4666 लखनऊः दिनांक 5 सितम्बर, 2016

विषयः–राष्ट्रीय **स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत** जिला चिकित्सालयों को वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु अन्टाइड फण्ड के **सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–एस0पी0 एम0यू0/कम्यु0प्रो0/अन्टाइड फण्ड/2016–17/61–1/4675, दिनांक 22.08.2016(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगी कल्याण समिति का गठन मुख्य सचिव, उ0प्र0 के शासनादेश सं0–2751/5–9–06–9(285)/04टी.सी.–1, दिनांक 16.11.2006 के द्वारा किया गया है, जिसको अवक्रमित करते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 81/5–9–14–9(56)/13, दिनांक 15.01.2014 शासनादेश निर्गत किये गये हैं, जिसके द्वारा रोगी कल्याण समिति की संरचना, गठन, क्रियान्वयन व वित्तीय अभिलेखीकरण के सम्बन्ध में नये निर्देश दिये गये हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रति जिला चिकित्सालय हेतु रू0 10.00 लाख, अन्टाइड धनराशि का प्राविधान किया गया है। भारत सरकार के पत्र संख्या–P17018/49/2013, दिनांक 17.01.2014 द्वारा उपरोक्त धनराशि में प्रत्येक चिकित्सा इकाई को अनुमोदित धनराशि का 50 प्रतिशत अवश्य दिया जाना है। शेष धनराशि गत वर्ष चिकित्सा इकाई द्वारा दी गई सेवाओं एवं केस लोड के अनुसार की गई अन्तर वित्तीय (Differential Financing) के अनुसार अवमुक्त की जायेगी।

प्रत्येक चिकित्सा इकाई को अनुमोदित धनराशि का 50 प्रतिशत (अर्थात रू0 5.00 लाख) देने के उद्देश्य से वर्ष 2016–17 हेतु एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी 2.1 में जनपदों को रू0 2.00 लाख प्रति चिकित्सालय की दर से धनराशि दिनांक 22.06.2016 को अवमुक्त की जा चुकी है। जनपदों को प्रति चिकित्सालय 5.00 लाख तक टाप अप करने के लिए शेष धनराशि जनपद द्वारा उपरोक्त मद में कमिटेड धनराशि को समायोजित करते हुए दिनांक 24.08.2016 को निम्न तालिका अनुसार अवमुक्त किया जा चुका हैः–

Sr.	District	No. of DHs	Allocation @ Rs.500000	Amount Previously Allocated for DH Rs.@ 200000	Committed at district as on.31/03/2016	Total amount at District	Remaining Amount to be Allocated
		A	B= A*500000	C	D	E= C + D	F= B - E
1	Agra	2	1000000	400000	956064	1356064	0
2	Aligarh	3	1500000	600000	346676	946676	553324
3	Allahabad	5	2500000	1000000	1173920	2173920	326080
4	Ambedkarnagar	1	500000	200000	128000	328000	172000
5	Amethi	0	0	0	0	0	0
6	Amroha	1	500000	200000	243633	443633	56367
7	Auraiya	1	500000	200000	593117	793117	0
8	Azamgarh	2	1000000	400000	991271	1391271	0

9	Baghpat	1	500000	200000	101862	301862	198138
10	Bahraich	2	1000000	400000	862869	1262869	0
11	Ballia	2	1000000	400000	763123	1163123	0
12	Balrampur	3	1500000	600000	1377907	1977907	0
13	Banda	2	1000000	400000	442731	842731	157269
14	Barabanki	2	1000000	400000	0	400000	600000
15	Bareilly	3	1500000	600000	1492138	2092138	0
16	Basti	4	2000000	800000	1159448	1959448	40552
17	Bijnor	2	1000000	400000	593721	993721	6279
18	Budaun	2	1000000	400000	762204	1162204	0
19	Bulandsahr	4	2000000	800000	1890535	2690535	0
20	Chandauli	2	1000000	400000	0	400000	600000
21	Chitrakoot	2	1000000	400000	1178536	1578536	0
22	Deoria	2	1000000	400000	847000	1247000	0
23	Etah	2	1000000	400000	200000	600000	400000
24	Etawah	2	1000000	400000	358580	758580	241420
25	Faizabad	3	1500000	600000	0	600000	900000
26	Farrukhabad	2	1000000	400000	1237511	1637511	0
27	Fatehpur	2	1000000	400000	0	400000	600000
28	Firozabad	3	1500000	600000	713332	1313332	186668
29	Gautambudhnagar	1	500000	200000	500000	700000	0
30	Ghaziabad	3	1500000	600000	996480	1596480	0
31	Ghazipur	2	1000000	400000	700817	1100817	0
32	Gonda	2	1000000	400000	1732148	2132148	0
33	Gorakhpur	2	1000000	400000	526449	926449	73551
34	Hamirpur	2	1000000	400000	34952	434952	565048
35	Hapur	0	0	0	0	0	0
36	Hardoi	2	1000000	400000	3350	403350	596650
37	Hathras	3	1500000	600000	552252	1152252	347748
38	Jalaun	2	1000000	400000	0	400000	600000
39	Jaunpur	2	1000000	400000	1795320	2195320	0
40	Jhansi	2	1000000	400000	2243062	2643062	0
41	Kannauj	1	500000	200000	967138	1167138	0
42	Kanpur Dehat	1	500000	200000	52789	252789	247211
43	Kanpur Nagar	4	2000000	800000	1387239	2187239	0
44	Kasganj	1	500000	200000	0	200000	300000
45	Kaushambhi	1	500000	200000	638570	838570	0
46	Kushinagar	1	500000	200000	0	200000	300000
47	Lakhimpur Khiri	2	1000000	400000	1015781	1415781	0
48	Lalitpur	2	1000000	400000	677784	1077784	0
49	Lucknow	10	5000000	2000000	7598257	9598257	0
50	Maharajganj	1	500000	200000	713475	913475	0
51	Mahoba	2	1000000	400000	0	400000	600000
52	Mainpuri	2	1000000	400000	590894	990894	9106
53	Mathura	3	1500000	600000	832351	1432351	67649
54	Mau	2	1000000	400000	387715	787715	212285
55	Meerut	2	1000000	400000	1421072	1821072	0
56	Mirzapur	2	1000000	400000	776960	1176960	0
57	Moradabad	2	1000000	400000	859590	1259590	0
58	Muzaffarnagar	2	1000000	400000	937498	1337498	0

59	Pilibhit	2	1000000	400000	0	400000	600000
60	Pratapgarh	2	1000000	400000	513384	913384	86616
61	Raebareli	2	1000000	400000	910855	1310855	0
62	Rampur	2	1000000	400000	753496	1153496	0
63	Saharanpur	2	1000000	600000	2140655	2740655	0
64	Sambhal	1	500000	0	200000	200000	300000
65	Sant Kabir Nagar	1	500000	200000	199730	399730	100270
66	Sant Ravidas Nagar	1	500000	200000	0	200000	300000
67	Shahjahanpur	2	1000000	400000	0	400000	600000
68	Shamli	0	0	0	0	0	0
69	Siddharth Nagar	1	500000	200000	113825	313825	186175
70	Sitapur	2	1000000	400000	42912	442912	557088
71	Sonbhadra	1	500000	200000	582000	782000	0
72	Srawasti	1	500000	200000	47756	247756	252244
73	Sultanpur	2	1000000	400000	423152	823152	176848
74	Unnao	2	1000000	400000	1251734	1651734	0
75	Varanasi	5	2500000	1000000	1551950	2551950	0
		155	**77500000**	**31000000**	**55087570**	**86087570**	**12116586**

यदि किसी परिस्थिति में राज्य द्वारा प्रदत्त धनराशि एवं जनपद द्वारा कमिटेड लायबिलिटिज के रूप में रक्षित धनराशि से जनपद के प्रत्येक जिला स्तरीय चिकित्सालय को रू0 5.00 लाख देना सम्भव नहीं है तो उक्त परिस्थिति में जिला स्वास्थ्य समिति अपने विवेकानुसार धनराशि का आवंटन इस प्रकार करे कि प्रत्येक चिकित्सालय को एक समान धनराशि प्राप्त हो। तत्पश्चात शेष धनराशि हेतु मांग पत्र महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 को प्रेषित करते हुए, उसकी प्रति मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ को भी उपलब्ध करायें।

उक्त के साथ ही परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ के पत्र संख्या–एड्स सोसा0/ICTC/NRHM-NACP Integrationg/207/2016-17/1301, दिनांक 04.08.2016(छायाप्रति संलग्न), जो एच0आई0वी0 संक्रमित गर्भवती महिलाओं के प्रसव हेतु Safe Delivery Kit की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016–17 में Safe Delivery Kit के क्रय हेतु कुल प्रस्तावित बजट रु0 25,05,000/–(रु0 1500/– प्रति Safe Delivery Kit केन्द्र आवश्यकता के आधार पर) से संबंधित विवरण संलग्न कर एन0एच0एम0 की सप्लीमेंट्री पी0आई0पी0 में प्राविधानित/सम्मिलित कराने एवं समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को एच0आई0वी0 संक्रमित गर्भवती महिलाओं के प्रसव हेतु Safe Delivery Kit एवं एच0आई0वी0 टेस्टिंग हेतु कंजुमेबुल उपलब्धता चिकित्सालय स्तर पर रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध बजट से क्रय करने एवं किसी भी एच0आई0वी0 संक्रमित गर्भवती महिला को Safe Delivery Kit की अनुपलब्धता के आधार पर प्रसव हेतु वापस नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

अतः उक्त दोनों प्रकरणों से संबंधित पत्रों के साथ प्राप्त संलग्नों को इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि चिकित्सालयों को प्राप्त अन्टाइड धनराशि हेतु व्यय के सम्बन्ध में महानिदेशालय के पत्रांक–11फ/आर.के.एस./2015–16/1/3037, दिनांक 21 नवम्बर, 2015 में वर्णित सामान्य दिशा–निर्देशों के अनुरूप व्यय करना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से संबंधित को अवगत भी करायें।

<u>संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक

पत्रांक–11फ / आर0के0एस0 / 2016–17 / 4667–4676 तद्दिनांकः 5/9/16

प्रतिलिपि– निम्नखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
3. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
9. वित्त नियन्त्रक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,एन.एच.एम., एस.पी.एम.यू. लखनऊ।
10. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरूष / महिला / संयुक्त / अन्य चिकित्सालय, उ0प्र0।

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक